राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार, 27 फरवरी 2026

वर्ष 14,अंक 307, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

कलेक्ट्रेट परिसर में आशा एवं आशा संगिनी बहनों का प्रदर्शन

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अधिकतर ट्रांसपोर्टर कारोबार कर रहे हैं,

हमसे गलती हो गई, माफ कर दें, CJI सूर्यकांत की डांट सुनते ही NCERT को आया होश, ज्यूडिशियरी वाले चैप्टर पर रोक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सोशल साइंस के ज्यूडिशियरी से जुड़े चैप्टर पर बड़ा यूटर्न लिया है.एनसीईआरटी ने 'ज्यूडिशियल करप्शन' वाले चैप्टर को हटाने का फैसला किया है. उसने किताब विवाद को अपनी गलती मानी है और इसके लिए माफी मांगी है. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को ही सीजेआई सूर्यकांत ने फटकार लगाई थी. इसके बाद आधी रात को बयान जारी कर एनसीईआरटी ने खेद जताया है. एनसीईआरटी ने बयान जारी कर कहा कि उससे अनजाने में गलती हुई है और वह इसके लिए खेद जता रहा है. इतना ही नहीं, संस्था ने कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और नई संशोधित किताब बच्चों को दी जाएगी. बता दें कि आज एनसीईआरटी किताब मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है।

दरअसल, एनसीईआरटी (NCERT) ने 24 फरवरी 2026 को कक्षा 8 के लिए 'Exploring Society: India and Beyond, Vol II' नाम की सोशल साइंस भाग-2 की किताब जारी की थी. किताब आने के बाद यह देखा गया कि चैप्टर 4 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' (पेज 125-142) पर है. इसके बाद बवाल हुआ. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. खुद सीजेआई सूर्यकांत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया. इसके बाद एनसीईआरटी ने कहा कि उससे अनजाने में कुछ अनुचित पाठ्य सामग्री और निर्णय सम्बन्धी त्रुटि शामिल हो गई है।

किताब पर लगी रोक

इस पर शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी आपत्ति जताई और किताब के वितरण पर अगला आदेश आने तक रोक लगाने के निर्देश दिए. NCERT ने इस निर्देश का पालन करते हुए किताब की बिक्री रोक दी है. NCERT ने बयान जारी कर कहा कि वह न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता है और उसे भारतीय संविधान का रक्षक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक मानता है. संस्था ने कहा कि यह गलती पूरी तरह अनजाने में हुई है और इसके लिए खेद व्यक्त किया गया है।

दोबारा लिखा जाएगा चैप्टर

NCERT ने स्पष्ट किया कि नई किताबों का उद्देश्य छात्रों में संविधान की समझ, संस्थाओं के प्रति सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी की सही जानकारी बढ़ाना है. किसी भी संवैधानिक संस्था की गरिमा को कम करने का कोई इरादा नहीं था. एनसीईआरटी ने कहा कि इस चैप्टर को अथॉरिटी से सलाह लेकर दोबारा लिखा जाएगा और संशोधित किताब शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत में छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी।

एनसीईआरटी ने मांगी माफी

NCERT ने एक बार फिर इस चूक के लिए माफी मांगी है और कहा है कि वह संस्था की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए लगातार काम करता रहेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एनसीईआरटी (NCERT) की क्लास 8 की सोशल साइंस की नई टेक्स्टबुक में 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' से जुड़े हिस्सों पर कड़ी आपत्ति जताई थी. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने 8वीं कक्षा की NCERT पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित सामग्री का स्वतः संज्ञान लिया और इसे 'गंभीर चिंता का विषय' बताया था.

सीजेआई सूर्यकांत ने लगाई थी फटकार

चीफ जस्टिस यानी प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, 'मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा. कानून अपना काम करेगा.' सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'मैं किसी को भी इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दूंगा. मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है. यह एक सोची-समझी कार्रवाई प्रतीत होती है. कानून अपना काम करेगा.' हालांकि, आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।

एनसीईआरटी की किस चैप्टर पर बवाल?

कक्षा आठ के लिए एनसीईआरटी की नई समाज विज्ञान की किताब के अनुसार, भ्रष्टाचार लंबित मामलों का भारी बोझ और न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या की कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली 'चुनौतियों' में से हैं. नई पुस्तक के 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' खंड में कहा गया है कि न्यायाधीश एक आचार संहिता से बंधे होते हैं जो न केवल अदालत में उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है बल्कि अदालत के बाहर उनके आचरण को भी नियंत्रित करती है।

'जब तक अरावली की परिभाषा तय नहीं होती, तब तक खनन पर रोक'... सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अरावली के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ी टिप्पणी की. शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक अरावली की सटीक परिभाषा तय नहीं हो जाती और संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तक तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि अरावली की परिभाषा की पुनः जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाएगा।

अदालत ने कहा कि प्रारंभिक मुद्दों का समाधान होने तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा. पर्यावरण मंत्रालय विशेषज्ञों की समिति के लिए नामों का सुझाव देगा. मामले से जुड़े वरिष्ठ वकीलों से भी विशेषज्ञों के नाम मांगे गए हैं. समिति की रिपोर्ट आने तक अरावली क्षेत्र में सभी नए खनन पट्टों पर रोक जारी रहेगी।

अरावली क्या है, अभी तक किसी को नहीं पता - CJI

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि समस्या यह है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि अरावली क्या है? सीजेआई ने यह टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने अपने एक मुवक्किल का पक्ष रखा, जिसने 10 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद खनन पट्टा हासिल किया था. इस पर कोर्ट ने कहा कि फिलहाल नए पट्टे जारी नहीं होंगे और जिन कार्यों के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं, उन्हें भी फिलहाल रोकना होगा।

अरावली की नई परिभाषा को लेकर विवाद

दरअसल, पूरा विवाद अरावली की नई परिभाषा (100 मीटर का नियम) को लेकर है. अब केवल उन्हीं भू-आकृतियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिनकी ऊंचाई अपने आसपास के धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक है. जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, वे अब अरावली की रेंज में नहीं आएंगी, जिससे वहां खनन, रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का रास्ता साफ हो सकता है. पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा था कि अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 217 किलोमीटर में यानी केवल 0.19% हिस्से में ही माइनिंग की इजाजत है क्योंकि अरावली के पहाड़ियों को नापने में 100 मीटर का मतलब सिर्फ जमीन से चोटी तक की ऊंचाई से नहीं है।

संक्षिप्त ख़बरें

कारोबारी की हत्या का नोएडा पुलिस ने कर दिया खुलासा, इस वजह से हुई थी पत्नी और बच्चों के सामने हत्या

नोएडा- उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना ईकोटेक-प्रथम क्षेत्र में पत्नी और बच्चों के सामने हुई कारोबारी नितिन नागर (28) की हत्या के मामले में पुलिस ने बुधवार देर रात मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली लगने से दोनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन (23) और विपिन उर्फ काला (23) के रूप में हुई है। उनके कब्जे से दो पिस्तौल और घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई है। मंगलवार को दिनदहाड़े कारोबारी की हत्या कर दी गयी थी। घायल आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में अब तक कुल छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को पकड़ा था, जबकि उसके दो साथियों को एक अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। बुधवार शाम को पुलिस ने एक अन्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जीते को भी हिरासत में लिया।

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी के अनुसार, उसने खुद को घायल कर पीड़ित दिखाने की कोशिश की थी। पुलिस ने बताया कि मृतक नितिन नागर के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद बुधवार शाम परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। जांच में यह भी सामने आया है कि 17 अगस्त 2024 को लुक्सर गांव के ठेकेदार विनय सिंह की हत्या के मामले में नितिन नागर का नाम आया था। उस मामले में थाना कासना पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि मामले में शामिल कुछ आरोपी अभी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है।

NCERT विवाद पर पीएम मोदी खफा, बोले- किताब में कैसे छपा, इसकी जवाबदेही तय हो

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' से जुड़े चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सख्त नाराजगी जताई है. सीएनएन-न्यूज18 को सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने इस विवाद पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मामले में स्पष्ट जवाबदेही तय करने को कहा है।

शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे विवाद पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि इस मामले (किताब छपने की प्रक्रिया) की निगरानी कौन कर रहा था. उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि 8वीं कक्षा के छात्र न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषय पर कैसे चर्चा कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्होंने इस लापरवाही के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

यह मामला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उठाया था. इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, धरती पर किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने और उसकी सत्यनिष्ठा को धूमिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

किताबें जब्त करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने इस किताब के प्रकाशन को गंभीर लापरवाही माना और निर्देश दिया कि इस विवादित चैप्टर वाली किताब की सभी किताबें तुरंत जब्त की जाएं. अदालत ने NCERT के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी और स्कूली शिक्षा सचिव को अवमानना का नोटिस भी जारी किया है. CJI सूर्यकांत ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, हम इसकी गहन जांच चाहते हैं. न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में जवाबदेही सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है; दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

NCERT और शिक्षा मंत्रालय की बिना शर्त माफी

सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से बिना किसी शर्त के अदालत से माफी मांगी. वहीं, NCERT ने भी इस विवाद पर बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा है कि वह इस किताब को वापस ले लेगी और विवादित पाठ्यक्रम को फिर से लिखेगी।

चंद घंटों में वापस लेनी पड़ी किताब

विवादित किताब का नाम 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड, वॉल्यूम I' (Exploring SocietyÑ India and Beyond, Vol II) है, जिसे 24 फरवरी को ही आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था. रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद, सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को देखते हुए इसे NCERT की वेबसाइट से हटा लिया गया और इसके फिजिकल सर्कुलेशन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई।

मणिपुर हिंसा: जांच समिति को पेमेंट नहीं मिलने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, 10-10 लाख रुपए देने का निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा से संबंधित जांच और निगरानी मामलों के एक समूह की सुनवाई की, जिसमें उसने अगस्त 2023 में गठित न्यायालय द्वारा नियुक्त निगरानी समिति के सदस्यों को यात्रा और कार्य संबंधी खर्चों का भुगतान न किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की. पीठ की अध्यक्षता कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया कि गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति के सदस्यों को पिछले दो वर्षों से निरंतर कार्य करने के बावजूद किसी भी प्रकार का प्रतिपूर्ति भुगतान नहीं किया गया है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें यह जानकर निराशा हुई है कि उनकी यात्रा और कार्य संबंधी खर्चों का अभी तक कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई है. याद रहे कि अंतरिम उपाय के रूप में न्यायालय ने समिति के तीनों सदस्यों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये जारी करने का निर्देश दिया, यह मानते हुए कि उन्होंने पर्याप्त खर्च किए हैं और आगे भी करते रहेंगे.पीठ ने स्पष्ट किया कि मानदेय बाद में अलग से तय किया जाएगा, और यह निर्देश केवल तात्कालिक खर्चों को पूरा करने के लिए है।

चार्जशीट की कॉपी पीड़ितों को देने का निर्देश

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जरूरी नए निर्देश जारी करते हुए CBI और मणिपुर

SIT से कहा कि वे 2023 के मणिपुर जातीय हिंसा मामलों में उनके द्वारा दायर चार्जशीट की कॉपी पीड़ितों और उनके परिवारों को दें. ये निर्देश महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस चीफ दत्तात्रेय पडसलगीकर की 12वीं स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद जारी किए गए, जिन्हें मणिपुर में क्रिमिनल मामलों की जांच की निगरानी का काम सौंपा गया था।

पडसलगीकर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि CBI ने 20 हिंसा मामलों में स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की है और छह अन्य FIR में जांच चल रही है और अगले छह महीनों में पूरी हो जाएगी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने CBI से यह पक्का करने को कहा कि बाकी हिंसा मामलों में जांच तय समय में पूरी हो जाए और चार्जशीट दायर हो जाएं. सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर की इस जोरदार दलील पर ध्यान देते हुए कि पीड़ितों और उनके परिवारों को केस के भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता है, CJI ने CBI और राज्य पुलिस की SIT से कहा कि वे प्रभावित लोगों के साथ चार्जशीट की कॉपी शेयर करें।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

बेंच ने मणिपुर स्क्र को केस के ट्रायल के लिए गुवाहाटी जाने वाले लीगल एड वकीलों के आने-जाने और रहने का खर्च उठाने का निर्देश दिया. शीर्ष कोर्ट ने पहले केस को मणिपुर से असम ट्रांसफर कर दिया था. इसने लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी से पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों के केस में शामिल होने के लिए गुवाहाटी में आने-जाने और रहने का खर्च उठाने को भी कहा. इसने कहा कि हर केस में एक व्यक्ति इस सुविधा का फायदा उठा सकता है. बेंच ने कहा, 'लीगल एड वकील, मौजूदा हालात के हिसाब से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के जरिए या अकेले स्पेशल ट्रायल कोर्ट की मदद करने के हकदार होंगे.' बेंच ने कहा कि उसने न तो चार्जशीट पर आगे कार्रवाई की है और न ही उनके मेरिट पर कोई कमेंट किया है, इसलिए पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों को मामलों की सुनवाई कर रहे स्पेशल कोर्ट के सामने सभी शिकायतें उठाने की आजादी होगी.

हालांकि, सेफ्टी और सिक्योरिटी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, बेंच ने साफ किया कि पीड़ितों को गुवाहाटी में ट्रायल कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के जरिए अपने बयान दर्ज कराने की इजाजत देने वाला उसका पिछला आदेश लागू रहेगा।

अपने ही पिता को जिंदा जलाया, फिर करने लगा हत्यारे की तलाश... कैसे खुली पोल?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

इटावा जिले के जसवंतनगर क्षेत्र के निलोई गांव में ट्यूबवेल के कमरे में जले मिले बुजुर्ग मुन्ना लाल की मौत का मामला हत्या निकला है. करीब एक महीने ने इस हत्याकांड का खुलासा किया. जांच में सामने आया कि जमीन और कर्ज के विवाद में इकलौते बेटे ने पिता की हत्या कर शव को जलाकर हादसा दिखाने की साजिश रची थी. पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. 24 जनवरी की सुबह गांव के बाहर खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे से धुआं उठता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे. अंदर 78 वर्षीय मुन्ना लाल का जला हुआ शव पड़ा मिला. उनका ऊपरी हिस्सा सुरक्षित था, जबकि निचला हिस्सा बुरी तरह जल चुका था. दरवाजे के पास खून के निशान और खून से सना डंडा मिलने से मामला शुरू से ही संदिग्ध हो गया था।

मुन्ना लाल चलने फिरने में असमर्थ थे और सर्दी के कारण खे में बने ट्यूबवेल कमरे में रही रहते थे. वह आग जलाकर ठंड से बचाव करते थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए।

बेटे ने ही दर्ज कराई थी शिकायत

घटना के दिन ही मृतक के बेटे गजराज सिंह ने थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी. उसने दावा किया था कि किसी ने उसके पिता की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए आग लगा दी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन पूछताछ में कई विरोधाभास सामने आए।

आरोपी बेटे पर था कर्ज

जांच के दौरान ग्रामीणों और रिश्तेदारों से बातचीत में पता चला कि गजराज बेरोजगार था और उस पर कई लोगों का कर्ज था. वह जमीन बेचकर कर्ज चुकाना चाहता था, जबकि मुन्ना लाल अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के खिलाफ थे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. पुलिस जांच में सामने आया कि 25 और 26 जनवरी की रात गजराज ट्यूबवेल पर था. वहां पिता से कहासुनी हुई और उसने डंडे से हमला कर अधमरा छोड़ दिया. उसके बाद बिस्तर पर लिटाया, ऊपर बोरी और रजाई डाल दी और तेल छिड़क कर आग लगा दी, ताकि घटना हादसा लगे. इसके बाद उसने खुद ही पुलिस को सूचना दी और अज्ञात लोगों पर आरोप लगाकर जांच को भटकाने की कोशिश की।

कैसे पकड़ा गया आरोपी बेटा?

सीओ आयुषी सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की. तकनीकी साक्ष्य और लगातार पूछताछ के बाद गजराज को हिरासत में लिया गया. सख्ती से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी साजिश का खुलासा किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

बंगाल में 'पीपुल्स मेनिफेस्टो' Vs 'वेलफेयर मॉडल'... चुनावी जंग के लिए BJP-TMC के प्लान में क्या-क्या खास?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है. बीजेपी ने पीपुल्स मैनिफेस्टो के जरिए जनता के बीच बड़ा दांव चला है. दावा ये है घोषणापत्र ऊपर से नहीं, नीचे से यानी जनता की राय से बनेगा. वहीं उत्तर बंगाल के लिए अलग मिनी घोषणापत्र की भी तैयारी है. सवाल क्या ये रणनीति सत्ता का रास्ता आसान करेगी? बीजेपी ने राज्यभर में सुझाव अभियान शुरू किया है, जिसे पार्टी जन आंदोलन का रूप दे रही है. गांव-गांव, शहर-शहर से लोग अपनी समस्याएं और अपेक्षाएं लिखकर दे रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक मैनिफेस्टो के लिए लोगों की सबसे ज्यादा राय जिन मुद्दों को लेकर आया हैं, उनमें GFX in कट मनी और भ्रष्टाचार पर नकेल, कानून-व्यवस्था की स्थापना, बंगाल में रोजगार को बढ़ावा, भयमुक्त समाज का निर्माण, सिंडिकेट राज का खात्मा, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के, युवाओं को रोजगार और राज्य से पलायन रोकने के उपाय, समाज के हरेक वर्ग को इज्जत से जीने का अधिकार शामिल है।

इस बार रीजनल रणनीति पर भी फोकस

पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार रीजनल रणनीति पर भी फोकस कर रही है. उत्तर बंगाल के 8 जिलों, कूच बिहार से लेकर दार्जिलिंग तक के लिए अलग मिनी घोषणापत्र तैयार किया जा रहा है. चुनावी वादों में भी आक्रामकता दिख रही है.हर साल 20 लाख नौकरियां, उत्तर बंगाल में IIT, और युवाओं के लिए 25,000 तक की कंडीशनल आर्थिक मदद जैसे प्रस्ताव चर्चा में हैं. मिनी घोषणापत्र मुख्य घोषणापत्र का ही हिस्सा है और उत्तर बंगाल स्पेसिफिक रहेगा. बीजेपी का दावा है की ये संकल्प पत्र जनता का होगा, हर वर्ग की आवाज इसमें शामिल की जा रही है. हमारा लक्ष्य है, नीतियां जमीन से तय हों, न कि सिर्फ नेतृत्व से. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी का घोषणापत्र 10 मार्च से पहले यानी मार्च के पहले हफ़्ते में जारी की जा सकती है।

बीजेपी की ये रणनीति चुनावी जुमला है

वहीं टीएमसी बीजेपी की इस रणनीति को चुनावी जुमला बता रही है. टीएमसी का कहना है कि उनकी सरकार पहले से ही युवा साथी जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को सीधी आर्थिक मदद दे रही है, जिसे जनता का जबरदस्त समर्थन मिला है. टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी सिर्फ बड़े वादे कर रही है लेकिन जमीनी हकीकत में उसका कोई ठोस मॉडल नहीं है.टीएमसी ने कहा, हम काम करते हैं, वो वादे करते हैं. जनता सब देख रही है. हमारी योजनाओं का फायदा सीधे लोगों तक पहुंच रहा है।

टीएमसी ये भी दावा करती है की उनका मैनिफेस्टो सिर्फ राज्य में लिए ही नहीं होता वो देश को भी दिशा दिखाता है. बंगाल में अब मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि मॉडल बनाम मॉडल का होता दिख रहा है.एक तरफ बीजेपी का पीपुल्स मैनिफेस्टो और बड़े वादे, तो दूसरी तरफ टीएमसी की मौजूदा वेलफेयर योजनाएं. चुनाव से पहले ये साफ है कि इस बार मुद्दे सुरक्षा, रोजगार और सीधी आर्थिक मदद ही सियासत की दिशा तय करेंगे।

स्वाभिमानी राष्ट्र देश के नागरिकों का श्रेष्ठ रक्षक

आत्मनिर्भरता राष्ट्र का स्वाभिमान।

'पराधीन सपने हुं सुख नाही' यह लोकोक्ति हर स्वाभिमानी आदमी और स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्ति को याद रहती है। स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता ही मनुष्य को स्वाधीन बनाने की प्रेरणा देती है। आत्मनिर्भरता की स्थिति में व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी सुविधा अनुसार पूरा कर सकता है, इसके लिए दूसरों की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मनिर्भरता केवल मनुष्य के लिए व्यक्तिगत रूप से ही जरूरी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए भी अति आवश्यक है। एक स्वतंत्र राष्ट्र अपनी जनता को अपनी क्षमता के अनुसार सारी सुविधाएं तथा अन्य जीवन उपयोगी साधन उपलब्ध करा सकता है। भारत स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति सातवें दशक के प्रारंभ के बाद ही खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका, इसके साथ ही भारत में खुशहाली की स्वाभाविक तौर पर वृद्धि हुई, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि 'एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं', पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है वह अभी तक स्वतंत्रता के बाद से 75 वर्ष के बाद भी संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है, वह कर्जे से डूब गया है और अपने देश में खर्चा चलाने के लिए पूरी दुनिया से उधार मांगते हुए घूम रहा है। पाकिस्तान आत्मनिर्भर नहीं होने का एवं उधार की जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जबकि भारत देश विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस,इंजीनियरिंग और कृषि सेवा, खनिज,स्पेस रिसर्च में पूर्णता आत्मनिर्भर होकर विकसित देशों के बराबर खड़ा हुआ है। यह देशवासियों और देश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन किसी भी देश की प्रगति विकास तथा और उसके नागरिकों की जिंदगी की जिजीविषा है जिससे वह संघर्ष कर आगे बढ़ता है। इतिहास गवाह है कि किसी भी महान लेखक को महान बनने तक निरंतर मेहनत कर किताबें लिखने का का श्रम करना पड़ा एवं आत्मनिर्भरता की स्थिति में विचार कर अपने विचारों को लिपिबद्ध करना पड़ा तब जाकर वह महानता की श्रेणी को प्राप्त कर सका। इसी तरह कोई छात्र अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे स्वयं परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा एवं परीक्षा में मनोवांछित सफलता प्राप्त कर उसे स्वयं अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में भी मनुष्य को आत्मनिर्भर होकर मेहनत कर दीक्षित सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी।

हमारा देश भारत भी आजादी के बाद से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रेषित हुआ आज स्थिति यह है कि वह विश्व में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। तमाम महापुरुषों के जीवन से भी हमें आत्मनिर्भरता तथा स्वावलंबन की शिक्षा मिलती रहती है।महात्मा गांधी अपना कार्य स्वयं किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 'दैव दैव आलसी' पुकारा है, तब जाकर उनकी जिंदगी पटरी पर आई और हमें परिश्रम कर आत्म निर्भर होने की शिक्षा प्रदान की थी। दूसरों पर निर्भरता हमें दूसरों का अनुसरण करने के लिए मजबूर करती है। दूसरों पर निर्भर होने से हमें के अनुरूप ही जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पराधीनता हमारा आत्मविश्वास सृजनशीलता सोचने की शक्ति को नष्ट कर देती है। गुलामी एक अभिशाप होती है, आत्मनिर्भरता की कमी हमें किंकर्तव्यविमूढ़ बना देती है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला व्यक्ति जीवन के अक्षय आनंद से वंचित रहता है। खुद के परिश्रम श्रम से आगे बढ़ने वाला देश या व्यक्ति या समाज सदैव प्रफुल्लित आत्म विश्वासी तथा विकास की ओर सदैव अग्रसर रहता है। हमें सदैव अपने अंदर के आत्मविश्वास, छिपी हुई क्षमताओं मनोबल का सहारा लेकर आत्मनिर्भर या स्वावलंबी बनने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मनुष्य होने का अधिकार प्राप्त होता है। पराधीन देश सामान्य व्यक्ति सदैव पशु तुल्य होते हैं। जिनका अपना कोई विचार या व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता - राम सहायक उनके होते, जो होते हैं, आप सहायक, हम सबको स्वयं पर भरोसा रखना आत्मबल बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देती रहती है।

संजीव ठाकुर

'केरल' से 'केरलम': पहचान की पुनर्स्थापना या राजनीतिक रणनीति? नाम परिवर्तन के फैसले के लाभ-हानि, चुनावी असर और भाजपा के संभावित फायदे की पड़ताल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और संवैधानिक बहस का विषय बन गया है। यह फैसला उस प्रस्ताव की अगली कड़ी है जिसे राज्य विधानसभा पहले ही पारित कर चुकी थी। अब प्रश्न यह है कि इस नाम परिवर्तन से राज्य को वास्तविक लाभ क्या होंगे, संभावित हानियां क्या हो सकती हैं, इसका चुनावी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा मिल सकता है।

सबसे पहले लाभ की बात करें तो समर्थकों का तर्क है कि 'केरलम' नाम राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के अधिक अनुरूप है। मलयालम भाषा में राज्य को 'केरलम' कहा जाता है, इसलिए यह परिवर्तन स्थानीय अस्मिता और आत्मसम्मान को मजबूती देता है। भारत में पहले भी कई राज्यों ने अपनी ऐतिहासिक या भाषाई पहचान के अनुरूप नाम बदले हैं—जैसे ओडिशा (पूर्व नाम उड़ीसा) और उत्तराखंड (पूर्व नाम उत्तरांचल)। इन उदाहरणों से यह तर्क दिया जाता है कि नाम परिवर्तन कोई असामान्य कदम नहीं, बल्कि समय के साथ पहचान के परिष्कार की प्रक्रिया है।

दूसरा संभावित लाभ सांस्कृतिक ब्रांडिंग का है। 'केरलम' नाम पर्यटन, आयुर्वेद, बैकवाटर्स और पारंपरिक कला रूपों की वैश्विक पहचान को स्थानीय भाषा से जोड़ सकता है। जब कोई राज्य अपनी मूल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को आधिकारिक रूप देता है तो वह अपने नागरिकों में गौरव की भावना उत्पन्न करता है। इससे प्रवासी समुदाय, विशेषकर खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों मलयाली लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत हो सकता है। यह मनोवैज्ञानिक लाभ सीधे आर्थिक लाभ में बदले या न बदले, लेकिन सामाजिक आत्मविश्वास को बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है।

हालांकि, इसके साथ कुछ व्यावहारिक चुनौतियां और संभावित हानियां भी जुड़ी हैं। नाम बदलने की प्रक्रिया में प्रशासनिक दस्तावेजों, शैक्षणिक प्रमाणपत्रों, सरकारी वेबसाइटों, कानूनी अभिलेखों और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय समझौतों में संशोधन की आवश्यकता होगी। यह प्रक्रिया समय और संसाधन दोनों लेती है। आलोचकों का कहना है कि जब राज्य बेरोजगारी, बाढ़ प्रबंधन, कर्ज बोझ और बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों से जूझ रहा हो, तब नाम परिवर्तन प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ सीमित हैं, जबकि प्रशासनिक लागत वास्तविक है। चुनावी असर के संदर्भ में यह निर्णय दिलचस्प है। केरल में लंबे समय से वामपंथी दलों और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का वर्चस्व रहा है। भाजपा यहां अब तक सीमित प्रभाव ही बना पाई है। ऐसे में यदि नाम परिवर्तन का निर्णय केंद्र सरकार की मंजूरी से आगे बढ़ता है, तो भाजपा इसे 'संस्कृति के सम्मान' और 'संविधान सम्मत प्रक्रिया' के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। यह संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि केंद्र क्षेत्रीय पहचान के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ है। इससे भाजपा को यह नैरेटिव गढ़ने का अवसर मिल सकता है कि वह केवल हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की आकांक्षाओं को भी समझती है।

लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि केरल की राजनीति अत्यंत जागरूक और वैचारिक रूप से परिपक्व मानी जाती है। यहां मतदाता केवल प्रतीकात्मक मुद्दों पर वोट नहीं देते, बल्कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए केवल नाम परिवर्तन से चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव आ जाए, यह मान लेना जल्दबाजी होगी। हां, यह भाजपा के लिए एक संवाद का द्वार खोल सकता है, जिससे वह राज्य की सांस्कृतिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील दिखे।

भाजपा के संभावित फायदे पर यदि विस्तार से विचार करें तो यह निर्णय उसे दक्षिण भारत में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का अवसर दे सकता है। पार्टी यह तर्क रख सकती है कि उसने राज्य विधानसभा की इच्छा का सम्मान किया और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कदम उठाया। इससे वह उन मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर सकती है जो क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन चाहते हैं। साथ ही, यह विपक्ष के उस आरोप को भी कमजोर कर सकता है कि केंद्र सरकार राज्यों की स्वायत्तता की अनदेखी करती है।

दूसरी ओर, विपक्ष इसे 'प्रतीकात्मक राजनीति' बताकर जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगा सकता है। यदि राज्य में आर्थिक या सामाजिक समस्याएं बनी रहती हैं, तो नाम परिवर्तन का मुद्दा जल्दी ही पृष्ठभूमि में चला जाएगा। इसलिए चुनावी लाभ तभी संभव है जब इसे व्यापक विकास और सुशासन के एजेंडे के साथ जोड़ा जाए।

एक और महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय स्तर का है। यदि संसद में यह विधेयक पारित होता है, तो यह संदेश जाएगा कि भारत की संघीय संरचना में राज्यों की सांस्कृतिक पहचान को मान्यता देने की परंपरा जारी है। इससे अन्य राज्यों में भी समान मांगें तेज हो सकती हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल द्वारा 'बांग्ला' नाम के प्रस्ताव के मामले में देखा गया था। हालांकि हर प्रस्ताव का मूल्यांकन अलग राजनीतिक और कूटनीतिक संदर्भ में होगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि 'केरल' से 'केरलम' का नाम परिवर्तन भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव सीमित और मिश्रित रहेंगे। चुनावी राजनीति में इसका असर परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।यदि इसे क्षेत्रीय सम्मान और विकास के व्यापक विमर्श से जोड़ा गया तो भाजपा को सीमित लेकिन प्रतीकात्मक लाभ मिल सकता है; यदि यह केवल नाम तक सीमित रहा तो इसका प्रभाव भी प्रतीकात्मक ही रहेगा। लोकतंत्र में नाम केवल पहचान का माध्यम है, असली कसौटी नीतियों और उनके परिणामों से तय होती है।

कांतिलाल मांडोत

भर्ती प्रक्रिया या राजस्व का साधन? युवाओं का बड़ा सवाल

[युवाओं से वसूली, नौकरी में कंजूसी—किसका विकास?]

[परीक्षा शुल्कः व्यवस्था की मजबूरी या युवाओं की मजबूरी?]

उम्मीदों के आसमान तले खड़ा भारत आज एक कड़वी हकीकत से जूझ रहा है–युवा शक्ति होने के बावजूद युवा ही सबसे अधिक असुरक्षित और आक्रोशित है। आंखों में सपने, हाथों में डिग्रियां और मन में अटूट विश्वास लिए करोड़ों अभ्यर्थी सरकारी नौकरी को अपने भविष्य की अंतिम सीढ़ी मानते हैं। परंतु जब बेरोज़गारी भयावह रूप ले चुकी हो, तब यह सपना संघर्ष में बदल जाता है। ऐसे निर्णायक समय में आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भर्ती व्यवस्था की उस अनदेखी सच्चाई पर प्रहार किया है, जिस पर अब तक चुप्पी साधी गई थी। उनका सीधा प्रश्न है–जब एक पद के लिए लाखों आवेदन लेकर भारी परीक्षा शुल्क वसूला जाता है, तो असफल अभ्यर्थियों की फीस वापस क्यों नहीं की जाती? यह मुद्दा अब केवल पैसों का नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी और संवेदनशील शासन का प्रश्न बन गया है।

यह प्रश्न किसी एक दिन की उपज नहीं, बल्कि वर्षों से भीतर ही भीतर धधक रहे युवाओं के आक्रोश की गूंज है। राघव चड्ढा ने उसी दबे दर्द को शब्द दिए हैं। आज देश में स्थिति ऐसी हो गई है कि कई सरकारी भर्तियों में कुछ ही पदों के लिए दस लाख से अधिक आवेदन आना भी सामान्य बात बन चुकी है। हर आवेदन के साथ 500 से 1500 रुपये तक शुल्क लिया जाता है, और जब इन आंकड़ों को जोड़ा जाता है तो एक भर्ती से सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या नगण्य रहती है। बाकी लाखों युवा असफलता का भार लेकर लौटते हैं। वे केवल परीक्षा नहीं हारते, बल्कि अपना समय, धन और आत्मविश्वास भी गंवा बैठते हैं। ऐसे में यह संदेह स्वाभाविक है कि कहीं यह व्यवस्था युवाओं की विवशता को राजस्व के स्रोत में तो नहीं बदल रही।

परीक्षा शुल्क का उद्देश्य आयोजन की लागत–प्रश्नपत्र निर्माण, केंद्र प्रबंधन, पर्यवेक्षक मानदेय और मूल्यांकन–को पूरा करना होना चाहिए। परंतु वास्तविकता में एकत्रित राशि अक्सर इन खर्चों से कहीं अधिक होती है। कई बार परीक्षाएं रद्द होती हैं, पेपर लीक होते हैं या परिणामों में अनावश्यक देरी होती है, फिर भी अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं मिलती। मध्यम और निम्न वर्ग के छात्र परिवार की सीमित आय से यह शुल्क चुकाते हैं, जबकि कोचिंग, पुस्तकें, आवास और यात्रा का अतिरिक्त बोझ अलग होता है। जब अंततः परिणाम निराशा देता है, तो यह केवल एक व्यक्ति की हार नहीं, बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक पीड़ा बन जाती है।

जब रोजगार के अवसर सीमित हों, तब संवेदनशील शासन की पहचान उसकी नीतियों से होती है। राघव चड्ढा का स्पष्ट मत है कि यदि सरकार पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध नहीं करा पा रही, तो कम से कम परीक्षा शुल्क को न्यूनतम रखा जाए या असफल अभ्यर्थियों को आंशिक रिफंड दिया जाए। उनका तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षा सफलता की गारंटी नहीं देती, इसलिए शुल्क को रोजगार का प्रवेश-पत्र मानकर वसूलना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। यह विचार सीधे युवाओं की भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। आज लाखों अभ्यर्थी वर्षों तक तैयारी करते हैं, कई बार आयु सीमा भी पार कर जाते हैं और अंततः निराश होकर निजी या अस्थायी कार्य की ओर मुड़ते हैं। उनके लिए परीक्षा शुल्क महज रकम नहीं, बल्कि भविष्य में किया गया निवेश होता है।

निस्संदेह, रिफंड व्यवस्था लागू करना सरल नहीं होगा। प्रशासनिक जटिलताएं, तकनीकी प्रबंधन और बजटीय प्रभाव जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। फिर भी समाधान संभव हैं। शुल्क को प्रतीकात्मक बनाया जा सकता है, एक पंजीकरण से कई परीक्षाओं में भागीदारी की सुविधा दी जा सकती है, या परीक्षा रद्द होने पर स्वतः रिफंड अनिवार्य किया जा सकता है। डिजिटल भुगतान और सत्यापन प्रणालियों के इस दौर में पारदर्शिता सुनिश्चित करना असंभव नहीं है। आवश्यकता केवल स्पष्ट नीति और ठोस इच्छाशक्ति की है, ताकि व्यवस्था अधिक न्यायपूर्ण बन सके।

यह प्रश्न केवल धनराशि का नहीं, बल्कि युवाओं के मनोबल और सामाजिक संतुलन का भी है। वर्षों की तैयारी, परिवार की उम्मीदें और समाज की अपेक्षाएं मिलकर अभ्यर्थियों पर गहरा मानसिक दबाव बनाती हैं। असफलता के बाद अनेक युवा निराशा और अवसाद से जूझते हैं, कुछ चरम कदम भी उठा लेते हैं। जब व्यवस्था उन्हें केवल आंकड़ों में बदल देती है, तो स्वाभाविक रूप से भीतर असंतोष जन्म लेता है। ऐसे समय में यदि सरकार संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए और शुल्क नीति में सुधार करे, तो यह भरोसा पुनर्स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे युवाओं को महसूस होगा कि उनकी मेहनत और संघर्ष को समझा जा रहा है।

राघव चड्ढा द्वारा उठाया गया यह प्रश्न दलगत राजनीति से आगे बढ़कर सामाजिक चेतावनी का रूप ले चुका है। यह व्यवस्था को संकेत देता है कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं, बल्कि ठोस और व्यावहारिक सुधार आवश्यक हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता और पर्याप्त पद सृजन अनिवार्य हैं। यदि सरकार युवाओं से शुल्क लेती है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रभावी हो। अन्यथा यही शुल्क अनजाने में अप्रत्यक्ष कर जैसा प्रतीत होने लगता है, जिसका भार उसी संघर्षरत वर्ग पर पड़ता है जो पहले से ही सीमित संसाधनों में भविष्य गढ़ने का प्रयास कर रहा है।

आज आवश्यकता है कि नीति-निर्माता इस उठती आवाज को केवल सुनें ही नहीं, उस पर ठोस निर्णय भी लें। बेरोज़गारी के इस दौर में युवाओं पर आर्थिक बोझ डालना अत्यंत संवेदनशील विषय है। यदि नौकरियां सीमित हैं, तो कम से कम अवसर की लागत अवश्य घटाई जानी चाहिए। परीक्षा शुल्क में सुधार, आंशिक रिफंड या नाममात्र शुल्क जैसी पहलें न केवल आर्थिक राहत देंगी, बल्कि व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत करेंगी। अंततः किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके युवा होते हैं। यदि उनके सपनों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव डाला जाएगा, तो विकास की गति प्रभावित होगी। इसलिए आवश्यक है कि भर्ती प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और मानवीय बने–ताकि हर युवा महसूस कर सके कि व्यवस्था उसके साथ है, उसके खिलाफ नहीं।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

संपादकीय

बांग्लादेश में मुकदमों की नई जांच से क्या बदलेगी शेख हसीना की किस्मत

बांग्लादेश की राजनीति में 23 फरवरी 2026 को गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद द्वारा मुकदमों की पुनः जांच का आदेश देना एक ऐसा मोड़ हैए जिसके गहरे निहितार्थ हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के पतन के बाद देश जिस उथल.पुथल से गुजराए उसने न केवल सत्ता का केंद्र बदला बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं को भी राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों से घेर दिया। अब जब नई निर्वाचित बांग्लादेश नेशनालिस्ट पार्टी सरकार ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में इन मामलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया हैए तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इससे शेख हसीना को कोई राहत मिल सकती है। इस विषय का विश्लेषण करने के लिए हमें कानूनी बारीकियोंए राजनीतिक नैरेटिव और अंतरराष्ट्रीय दबाव के त्रिकोण को समझना होगा।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि इस समीक्षा का दायरा क्या है। गृहमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जांच केवल उन मुकदमों की होगी जो 5 अगस्त 2024 के बाद दर्ज किए गए। हसीना सरकार के गिरने के बाद उपजी अराजकता में कई अवामी लीग कार्यकर्ताओंए व्यवसायियों और पत्रकारों पर ऐसे मुकदमे दर्ज हुएए जिनके बारे में माना जाता है कि वे व्यक्तिगत रंजिश या ष्भीड़ तंत्रष् के दबाव में किए गए थे। कानूनी रूप सेए यह समीक्षा शेख हसीना के लिए सीधे तौर पर कोई ढाल नहीं बनती। इसका कारण यह है कि हसीना पर लगे मुख्य आरोप जैसे 2024 के छात्र आंदोलन का दमन और मानवता के खिलाफ अपराध 5 अगस्त से पहले की घटनाओं से जुड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा उन्हें दी गई मौत की सजा और भ्रष्टाचार के मामलों में मिली 10 साल की कैद इसी श्रेणी में आती है। अतःए पोस्ट.अगस्त मुकदमों की फाइलें दोबारा खुलने से उनकी सजाओं पर कोई तत्काल कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि कानून केवल धाराओं से नहींए बल्कि साक्ष्यों और प्रक्रियाओं की शुचिता से चलता है। यदि समीक्षा में यह पाया जाता है कि 5 अगस्त के बाद अवामी लीग के हजारों समर्थकों पर फर्जी केस लादे गए थेए तो यह शेख हसीना के वकीलों को एक मजबूत प्रक्रियागत तर्क प्रदान करेगा। वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह दावा कर सकेंगे कि जब निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हो सकते हैंए तो सर्वोच्च नेता के खिलाफ की गई पूरी न्यायिक प्रक्रिया भी निष्पक्ष नहीं हो सकती। यह स्थिति शेख हसीना को एक ष्पीड़ितष् के रूप में चित्रित करने में मदद करेगीए जिससे उन्हें प्रत्यक्ष कानूनी लाभ न सहीए पर एक नैतिक और नैरेटिव आधारित लाभ अवश्य मिल सकता है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो तारिक रहमान की सरकार एक कठिन संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ उन्हें उन छात्रों और जनता को संतुष्ट करना है जिन्होंने हसीना के खिलाफ क्रांति कीए और दूसरी तरफ उन्हें अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह दिखाना है कि बांग्लादेश अब ष्प्रतिशोध की राजनीतिष् से आगे बढ़ चुका है। यदि समीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में मुकदमे वापस लिए जाते हैंए तो अवामी लीग के वे कार्यकर्ता जो अब तक भूमिगत थे या डरे हुए थे फिर से सक्रिय हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं की यह सक्रियता शेख हसीना के लिए एक संजीवनी की तरह होगीए क्योंकि किसी भी निर्वासित नेता की शक्ति उसकी जमीन पर मौजूद फौज से ही तय होती है। इससे हसीना को यह कहने का मौका मिलेगा कि उनकी पार्टी के खिलाफ जो भी हुआ वह एक अवैध तख्तापलट् का हिस्सा था।

एक और महत्वपूर्ण आयाम अंतरराष्ट्रीय संबंधों का है। शेख हसीना वर्तमान में भारत में निर्वासन में हैं और ढाका की नई सरकार उनके प्रत्यर्पण के लिए दबाव बना रही है। मुकदमों की पुनः जांच का आदेश कहीं न कहीं यह संकेत देता है कि बीएनपी सरकार कानून के शासन को बहाल करना चाहती है। यदि जांच निष्पक्ष होती हैए तो यह नई सरकार की साख बढ़ाएगीए लेकिन यदि इसमें अवामी लीग के प्रति नरमी के संकेत मिलेए तो भारत जैसे पड़ोसी देशों को हसीना के पक्ष में खड़े होने का और अधिक आधार मिल जाएगा। भारत पहले ही इन मुकदमों को बांग्लादेश का आंतरिक मामला बताते हुए मानवीय आधार पर हसीना को शरण दिए हुए है। यदि ढाका खुद स्वीकार करता है कि उसके यहाँ दर्ज मुकदमों में विसंगतियां हैंए तो प्रत्यर्पण की मांग कानूनी रूप से कमजोर पड़ सकती है।

सामाजिक रूप सेए बांग्लादेश इस समय बुरी तरह ध्रुवीकृत है। 5 अगस्त के बाद अल्पसंख्यकों और अवामी लीग से जुड़े लोगों के खिलाफ हुई हिंसा ने एक घाव छोड़ दिया है। गृहमंत्री का यह कहना कि निर्दोषों को परेशान नहीं किया जाएगाएष् उस वर्ग में सुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है जो हसीना का समर्थक रहा है। यह सामाजिक स्थिरता की ओर एक कदम हो सकता हैए लेकिन हसीना के लिए यह परोक्ष फायदा है क्योंकि इससे उनके समर्थन आधार का बिखराव रुक जाएगा। जब समर्थक सुरक्षित महसूस करेंगेए तभी वे हसीना की वापसी या उनके विचारों के लिए आवाज उठा पाएंगे।

अंततः इस पूरी कवायद से शेख हसीना को मिलने वाला लाभ ष्सीमित और परोक्ष् प्रतीत होता है। उन्हें जेल से बाहर निकालने या उनकी सजा कम करने का कोई सीधा रास्ता इस समीक्षा से नहीं निकलता। लेकिनए यह कदम उस कठोर कानूनी और राजनीतिक घेराबंदी को थोड़ा ढीला जरूर कर सकता है जो 5 अगस्त के तुरंत बाद उनके चारों ओर बनाई गई थी। यदि बीएनपी सरकार इस जांच को पारदर्शी तरीके से पूरा करती है तो यह बांग्लादेश के लोकतंत्र की जीत होगीए लेकिन यदि इसमें जरा भी चूक हुई तो शेख हसीना इसे अपनी वापसी का पहला पायदान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। निष्कर्षतः यह कदम हसीना की सजा को तो नहीं बदल सकता लेकिन उनकी धूमिल होती छवि को ष्राजनीतिक शिकारष् के रूप में पुनर्जीवित करने का अवसर अवश्य प्रदान कर सकता है।

महेन्द्र तिवारी

प्रहार : अटूट संकल्प

इस समय केवल भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्व मानव जनित त्रासदी यानि आतंकवाद से त्रस्त है। आतंकवाद मानवता, शांति, विकास और लोकतंत्र जैसे मूल्यों का शत्रु है। आतंकवाद एक ऐसी कट्टरपंथी सोच का परिणाम है जो खुद को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों को काफिर मानती है। ऐसी ताकतें लगातार षड्यंत्र रचती रहती हैं। आतंकवाद ने भारत को कई बड़े जख्म दिए हैं। भारत दशकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार होता रहा है। आतंकवाद की कोख से क्रांति नहीं केवल घृणा और विनाश जन्म लेता है। पाकिस्तान में सत्ता और नॉन स्टेट एक्टर्स की संधि में कोई अंतर नहीं बचा। आतंकी ताकतों ने हमारे धर्मस्थलों को नहीं छोड़ा। लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद तक को निशाना बनाया गया। मुम्बई हमले में सैकड़ों निर्दोषों की जान चली गई। पुलवामा में हमारे जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। पहलगाम हमले में बेगुनाहों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। यह नैतिक और बर्बरता की प्रकाष्ठा थी। जैसे-जैसे देश के लिए खतरों का स्वरूप बदलता रहता है और नई चुनौतियां पेश करता है। उनका सामना करने के लिए देश को नई नीतियां बनानी पड़ती हैं। गृह मंत्रालय ने जल, थल, नभ खतरों की नई चुनौ?तियों का आंकलन करने के बाद देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति 'प्रहार' का दस्तावेज जारी किया जो जीरो टालरेंस और खुफिया जानकारी के आधार पर चमरपंथी हिंसा की रोकथाम और उसे बाधित करने पर आधारित एक बहुस्तरीय रणनीति है। यह नीति देश के भीतर और बाहर से उत्पन्न होने वाले आतंकी खतरों का मुकाबला करने के लिए सात प्रमुख स्तम्भों पर आधारित है।

प्रहार का तात्पर्य है भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए आतंकी हमलों की रोकथाम, खतरे के अनुरूप और त्वरित प्रतिक्रियाएं देना, समग्र सरकारी दृष्टिकोण में तालमेल हासिल करने के लिए आंतरिक क्षमताओं का एकीकरण, खतरों को कम करने के लिए मानवाधिकार और 'कानून के शासन' पर आधारित प्रक्रियाएं। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कम करना जिसमें कट्टरपंथ भी शामिल है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों को सरेखित और आकार देना। समाज के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। पाकिस्तान का नाम लिए बिना, दस्तावेज में कहा गया है कि भारत सीमा पार आतंकवाद से लगातार खतरों का सामना कर रहा है, जिसमें जिहादी संगठन और अलकायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक समूह हमलों की योजना बनाने के लिए स्लीपर सेल का उपयोग कर रहे हैं। विदेशों से संचालित चरमपंथी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें ड्रोन भी शामिल हैं, विशेष रूप से पंजाब और जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में हताहतों की प्रकृति को लेकर कोई संकोच नहीं होता। आतंकवादी सभी को साफ्ट टारगेट मानते हैं। छुट्टी पर आए सैनिक हों या निहत्थे पुलिसकर्मी। यहां तक कि बच्चों से भरी स्कूल बसें भी इनके निशाने पर हैं। किसी भी राष्ट्र की आतंकवादी विरोधी नीति अनिवार्य रूप से अतीत में ऐसे मामलों से निपटने के उसके अनुभव और वर्तमान स्थिति पर आधारित होती है। 80 के दशक में हमने पंजाब और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का भयंकर दौर देखा। मैं स्वयं उस परिवार से संबंध रखता हूं जिसने आतंकवाद की बहुत पीड़ा झेली है। पंजाब में धार्मिक अल्पसंख्यकों यानि हिन्दुओं को बसों और ट्रेनों से निकालकर बेरहमी से मार डाला गया तो जम्मू में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाए गए और 90 के दशक में घाटी कश्मीरी पंडितों से खाली हो गई। कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी हो गए और उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत की नीति में मूल परिवर्तन आया है। भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रह गया। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोटा एयर स्ट्राइक और 2023 का ऑपरेशन सिंदूर यह सभी कदम नीति में परिवर्तन का प्रमाण हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवादी कहीं भी हो उन्हें खत्म किया जाएगा और आतंकवाद के किसी भी स्वरूप को सहन नहीं किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बीते वर्षों में आतंक पर जीरो टॉलरेंस नीति एवं राष्ट्रहित पर कोई समझौता नहीं करने की रणनीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को सिर्फ नारा नहीं, बल्कि शासन का स्थायी सिद्धांत बना दिया है। चाहे सीमा पार से आने वाले आतंकी हमले हों या देश के भीतर की कट्टरवादी गतिविधियां मोदी सरकार ने हर स्तर पर यह साबित किया है कि भारत अब न तो चुप रहेगा और न झुकेगा। मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को एक ही झटके में खत्म कर आतंकवाद को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। अब अलगाववादी हुर्रियत कान्फ्रेंस का नामोनिशान नहीं बचा है। आतंकवादी संगठन हाशिए पर हैं। आतंकवादी वारदातों की संख्या काफी कम हो गई है। आतंकवादी कमांडरों का जीवन बहुत कम रह गया है। हालांकि बचे-खुचे आतंकवादी टारगेट किलिंग में सफल हो रहे हैं लेकिन राज्य में बहुत बड़ा परिवर्तन यह आया है कि बाजार गुलजार हैं। पहलगाम की घटना के बाद अब पर्यटन स्थल दोबारा से खुल चुके हैं। हाल ही के महीनों में खुफिया एजेंसियों ने कई राज्यों में रची जा रही 10 से ज्यादा बड़ी आतंकी साजिशों पर विराम लगाया है। जैश-ए-मोहम्मद, आईएसआईएस, टीटीपी और अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा देश में अंजाम दिए जाने वाले हमलों पर प्रभावी रोक लगी है। देश के भीतर नक्सलवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है। लाल आतंक का गलियारा अब खत्म हो चुका है। नक्सली कमांडर या तो मारे जा चुके हैं और बाकी सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सल मुक्त भारत का सपना साकार हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपना अटूट संकल्प पूरा कर दिखाया है। मोदी सरकार ने आतंकवादियों को न केवल सीमाओं पर जवाब दिया गया बल्कि उनकी फंडिंग, नेटवर्क और ठिकानों पर भी निर्णायक वार किया। इस सख्त नीति का परिणाम आंकड़ों में साफ झलकता है। जब सरकार की नीयत साफ हो और नेतृत्व निर्णायक हो, तब आतंक की जड़ें हिलती हैं। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, आधुनिक तकनीक और सशक्त सुरक्षा नीति से आतंकवाद के फन को कुचला जा सकता है। हर भारतीय को राजनीति प्रथम और राष्ट्र प्रथम की मानसिकता रखने वाली सरकारों में अंतर नजर आ रहा है। नया भारत न खामोश बैठता है न झुकता है। आतंकवाद के विरुद्ध नई नीति 'प्रहार' निर्णायक कार्रवाई करने का अटूट संकल्प है।

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

थाना ब्यौहारी पुलिस द्वारा गाँजे के मामले में 03 वर्ष से फरार आरोपी गिरफ्तार

शहडोल ब्यौहारी पुलिस द्वारा 87 किलो गांजा की तस्करी करने वाले आरोपी जो वर्ष 2023 से फरार था जिसे गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय प्रस्तुत किया गया थाना ब्यौहारी के अपराध क्रमांक 344/23 एनडीपीएस एक्ट में फोर्ड इकोस्पोर्ट कार में 87 किलो गांजा जप्त किया गया था घटना के पश्चात आरोपी फरार हो गया जो काफी तलाश करने के नही मिल पाया था।

घटना में प्रयुक्त वाहन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा अकलतरा थाना क्षेत्र का होना पाया गया। वाहन मालिक से जाकर पूछताछ करने पर पता चला कि उसके द्वारा वाहन का विक्रय कर दिया गया था । जिसे इमरान पिता मुबारक खान ने खरीद कर उक्त गांजे की तस्करी की थी । बिलासपुर स्थित ऑटो डील के माध्यम से आरोपी इमरान का पता लगाया गया जिसे दिनांक 24.02.2026 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है **सराहनीय भूमिका**– फरार आरोपी की गिरफ्तारी मे थाना ब्यौहारी के निरी. थाना प्रभारी जियाउल हक एव अधिनस्थ स्टाफ उनि बालकरण प्रजापति, प्र.आर. हीरा सिंह, आर. गंगा सागर गुप्ता, की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

चोरी के तीन अभियुक्त गिरफ्तार

मनकापुर गोण्डा: खोड़ारे पुलिस ने चोरी के तीन अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। प्रभारी निरीक्षक यशवंत कुमार सिंह ने बताया की राजकुमार ग्राम कूकनगर ग्रंट गोली संतडीह सोमवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी के दर्ज कराये रिपोर्ट में बताया है कि 15, 16 फरवरी की रात परिवार के साथ घर में सोया हुआ था। अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर कमरे में रखे बक्से से दो अंगूठी सोने की एक लॉकेट सोने की एक जोड़ी बिछुआ चांदी का एक जोड़ी पायल एक चांदी का माला एक मोबाइल फोन सहित अन्य घरेलू सामान उठा ले गए। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक ज्ञानेन्द्र शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही थी विवेचना के मध्य पतारसी सुरागरसी एवं गोपनीय पूछताछ से प्रकाश में आये अभियुक्तगण विकास पुत्र नाजिर ग्राम चतुराभीटी थाना खोडारे राजेन्द्र कुमार पुत्र देवी प्रसाद ग्राम शुकुलपुर थाना खोडारे सरजू प्रसाद पुत्र शिव प्रसाद ग्राम अल्लीपुर थाना खोडारे को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार कर्ता टीम वरिष्ठ उप निरीक्षक रघुवीर गौतम, उप निरीक्षक, ज्ञानेन्द्र शुक्ला, हेड कांस्टेबल ऋषि कुमार, इन्द्रासन यादव, अजय शुक्ला शामिल रहे।

आगामी त्योहारों को शान्ति,सौहार्दपूर्ण सकुशल संपन्न कराने हेतु की गयी पीस कमेटी की मीटिंग/बैठक

बलरामपुर। आज दिनांक 25.02.2026 को आगामी त्योहारों होली व ईद-उल-फितर को शान्ति, सौहार्दपूर्ण सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा थाना श्रीदत्तगंज परिसर में क्षेत्र के सम्भ्रान्त व्यक्तियों /ग्राम प्रधान/ धर्मगुरुओं/ डी0जे0 संचालकों एवं ग्राम प्रहरियों के साथ पीस कमेटी/ बैठक की गई।बैठक में डी0जे0 संचालको को मानक के अनुसार डी0जे0 बजाने व किसी भी प्रकार के अभद्र गाना न बजाने की अपील की गयी तथा सभी जन मानस को त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने तथा अफवाहोंपर रोकथाम करने हेतु जागरुक किया गया। आपसी भाईचारा बनाकर त्योहार को सकुशल संपन्न कराने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट व टिप्पणी न करने के लिये युवकों को समझाने के लिए बताया गया तथा किसी भी विषम परिस्थिति में तत्काल डायल112/ थाना स्थानीय पर सूचना देने व शासन द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशो के अनुपालन कराने एवं त्योहारो को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये शान्ति पूर्वक रूप से त्यौहार मनाने के लिये अपील किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी अविरल शुक्ल व अन्य संबंधित अधिकारी/ कर्मचारीगण व संभ्रांत व्यक्ति उपस्थित रहे। इसी क्रम में प्रभारी निरी थाना को0 जरवा राकेश पाल द्वारा थाना को0 जरवा परिसर में व प्रभारी थाना सादुल्लानगर सतेन्द्र वर्मा द्वारा थाना सादुल्लागर परिसर में पीस कमेटी की मीटिंग की गई।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अधिकतर ट्रांसपोर्टर कारोबार कर रहे हैं, विधायक इमरान हुसैन ने सदन में उठाया आवाज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बादल हुसैन

नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली यहां की गलीया कभी इतिहास की कहानीया सुनाती थी।आज वहां सिर्फ जाम है और अतिक्रमण से दिल्ली ढक रही है। लेकिन अब अतिक्रमण थमने वाला है। क्योंकि यहां बुलडोजर की दहाड सुनाई देगी पुरानी दिल्ली की 16 सड़कें अतिक्रमण मुक्त होने वाली है और इसके पिछे है पीडब्ल्यूडी विभाग ने दिल्ली नगर निगम को एक कडा पत्र लिखा है जिसमें पुरानी दिल्ली और आस पास की16 प्रमुख सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।इन सड़कों पर इन इलाकों में हालात इतने बत्तर है कि सरकारी जमीन पर सालो से ट्रांसपोर्ट से कब्जा जमा रखा है। बड़े बड़े ट्रक समान की ढेरी या सब कुछ सड़क पर। कल्पना कीजिए कितना मुश्किल होता है यहां से गुजरना। पीडब्ल्यूडी ने निगम और पुलिस से तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है। बता दें कि बल्लीमारान विधानसभा क्षेत्र से विधायक व पूर्व मंत्री इमरान हुसैन द्वारा दिल्ली विधानसभा सदन में गत दिनों पूछे गए एक लिखित जवाब में सामने आया है। विधायक हुसैन ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सदर थाना रोड, कुतुब रोड़, एवं ईदगाह रोड, पर ट्रांसपोर्टरों द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने पर कार्रवाई न होने के बारे में पूछा था। उन्होंने पूछा था कि अदि ट्रांसपोर्टरों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में वैकल्पिक स्थान आवंटित किए गए हैं तो उनके यहां से न जाने और उनके द्वारा अतिक्रमण जारी रहने के क्या कारण है, उन्होंने पूछा था कि इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, अतिक्रमण हटाने के लिए आगे क्या ठोस कदम प्रस्तावित है। जिस पर पीडब्ल्यूडी ने उत्तर में कहा कि यह बात सही है कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सदर थाना रोड, कुतुब रोड़, एवं ईदगाह रोड, पर ट्रांसपोर्टरों सहित विभिन्न अतिक्रमणकारियों द्वारा सड़क एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। विभाग ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखा गया है। पीडब्ल्यूडी ने ज़वाब में बताया कि उसकी तीन सडकें नहीं यहां के 16 मार्गो पर अतिक्रमण है क्यो जरूरी है ये कारवाई दिल्ली पुलिस भी इन अतिक्रमण से परेशान हैं उन्होंने खुद नगर निगम को कई पक्ष लिखे है, क्योंकि ये कब्जे कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बनते हैं।

क्या कहते हैं स्थानीय निवासी रिक्शा चालकों अवैध वेंडरो, और दुकानदारों ने मिलकर ट्राफिक जाम से नरक बना दिया है घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं।एक राहगीर ने बताया फुटपाथो पर कब्जा अवैध पार्किंग और ठेलो की वजह से पैदल चलने वालों को सड़क पर चलना पड़ता है जिससे हादसे का ख़तरा बना रहता है।

खोड़ारे पुलिस ने चोरी के तीन अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा

मनकापुर गोण्डा: खोड़ारे पुलिस ने चोरी के तीन अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा। प्रभारी निरीक्षक यशवंत कुमार सिंह ने बताया की राजकुमार ग्राम कूकनगर ग्रंट गोली संतडीह सोमवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी के दर्ज कराये रिपोर्ट में बताया है कि 15, 16 फरवरी की रात परिवार के साथ घर में सोया हुआ था। अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर कमरे में रखे बक्से से दो अंगूठी सोने की एक लॉकेट सोने की एक जोड़ी बिछुआ चांदी का एक जोड़ी पायल एक चांदी का माला एक मोबाइल फोन सहित अन्य घरेलू सामान उठा ले गए। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक ज्ञानेन्द्र शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही थी विवेचना के मध्य पतारसी सुरागरसी एवं गोपनीय पूछताछ से प्रकाश में आये अभियुक्तगण विकास पुत्र नाजिर ग्राम चतुराभीटी थाना खोडारे राजेन्द्र कुमार पुत्र देवी प्रसाद ग्राम शुकुलपुर थाना खोडारे सरजू प्रसाद पुत्र शिव प्रसाद ग्राम अल्लीपुर थाना खोडारे को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार कर्ता टीम वरिष्ठ उप निरीक्षक रघुवीर गौतम उप निरीक्षक ज्ञानेन्द्र शुक्ला हेड कांस्टेबल ऋषि कुमार, इन्द्रासन यादव,अजय शुक्ला शामिल रहे।

एसबीआई शाखा स्थापित करने का कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है क्षेत्रवासियों ने विभागीय अधिकारियों की सराहना की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: स्थानीय शुभचिंतकों के लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों तथा जनता की जोरदार मांग के परिणामस्वरूप श्रीभूमि जिला के दुल्लभछड़ा में State Bank of India (एसबीआई) की नई शाखा स्थापित करने का कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। इस पहल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों तथा एसबीआई विभाग के अधिकारियों के प्रति क्षेत्रवासियों ने हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त किया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, जनसंख्या की तुलना में दुल्लभछड़ा में अब तक केवल एक ही बैंक शाखा होने के कारण ग्राहकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

विशेष रूप से अनिपुर-दुल्लभछड़ा-निविया-चेराग़ी-रंगपुर क्षेत्र के सैकड़ों सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को बैंक संबंधी कार्यों के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय कर स्टेट बैंक रामकृष्णनगर ब्रांच में जाना पड़ता था। इससे वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था। स्थानीय निवासियों ने आशा व्यक्त की है कि नई शाखा शुरू होने के बाद क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की दैनिक बैंकिंग समस्याओं का अधिकांश समाधान हो जाएगा। इस पहल को जनहित में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम माना जा रहा है।

मदुरीपथार फॉरेस्ट रिज़र्व में लगी भीषण आग, बृहत इलाके जलकर हुआ रखा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम धेमाजी। सिलापथार के मदुरीपाथर में स्थित सीसी आरक्षित वनांचल में आज दिन के करीब 11 बजे एक अग्निकांड के खबर आते हैं। स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को अग्निकांड के ख़बर दी। देखते ही देखते आग ने बृहत इलाके को तबाह कर दिया। असम और अरुणाचल प्रदेश से आई दो अग्निशमन विभाग के गाड़ी और लिकाबाली आर्मी की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर आग बुझाने में कामयाब हुए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी दुष्ट चक्र ने ऐसा काम किया है, इस से पहले भी नदी गाई नदी किनारे में किसीने कुछ दिन पहले आग लगा दी थी। समय पर आग में काबू पाने पर जंगल किनारे बसे आवासीक घरों और आर्मी कैंप के फेंसिंग वाल को भारी क्षतिग्रस्त होता।

गुरुग्राम के सोहना में निर्माणाधीन सोसायटी की 17वीं मंजिल से गिरकर श्रमिक की मौत, काम करते वक्त फिसला पैर

गुरुग्राम। सोहना शहर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन आशियाना सोसायटी की 17वीं मंजिल से गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई। काम करते समय श्रमिक का पैर फिसल गया था। इससे वह नीचे आ गिरा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। घटना मंगलवार दोपहर की है। मृत श्रमिक की पहचान मूल रूप से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के शोकपुर गांव के रहने वाले ब्रजकुमार के रूप में की गई। बताया जाता है कि वह सोहना में किराए से रहकर श्रमिक का काम करते थे। बीते कुछ दिनों से वह आशियाना सोसायटी में काम कर रहे थे। मंगलवार दोपहर बिल्डिंग के टावर की 17वीं मंजिल पर काम करने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वह नीचे जा गिरे। आसपास के लोग उन्हें फौरन अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोहना पुलिस ने बताया कि परिवार वालों को घटना की सूचना दी गई है। अभी कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

'उड़ान उम्मीद प्रोजेक्ट 2.0' से एचएस विद्यार्थियों को नई आशा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: daan Education and Research Foundation द्वारा संचालित विशेष अभियान 'उड़ान उम्मीद प्रोजेक्ट 2.0' का दूसरा सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस परियोजना के अंतर्गत कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 25 हायर सेकेंडरी (HS) विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। ये सभी छात्र-छात्राएं सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से हैं तथा अधिकांश बीपीएल परिवारों से आते हैं। वर्तमान में ये विद्यार्थी हायर सेकेंडरी फाइनल परीक्षा 2026 में सम्मिलित हो रहे हैं।

कक्षाएं सिलचर स्थित daan Super 40 Coaching Center में आयोजित की गईं। विद्यार्थियों को न्यूनतम शुल्क पर उनकी अंतिम एचएस परीक्षा के लिए शैक्षणिक मार्गदर्शन दिया गया। इस परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनाना नहीं था, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और जीवन के प्रति आशा का संचार करना था। उड़ान का मानना है कि एचएस परीक्षा उत्तीर्ण करना ही जीवन की एक सशक्त और सार्थक शुरुआत है। इसी सोच के साथ इस पहल का नाम 'उम्मीद' रखा गया, जो बेहतर जीवन और नई शुरुआत की आशा का प्रतीक है। यह परियोजना Aligarh Muslim University की पूर्व छात्रा डॉ. सारा तहमीना चौधरी (सहायक प्रोफेसर, गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज, बागभार, बरपेटा) तथा Cognizant, यूएसए के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर श्री मंसूर अहमद के उदार आर्थिक सहयोग से संभव हो सकी। दूर रहकर भी उन्होंने अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए इस पहल को समर्थन दिया। उनके सहयोग से उड़ान ने सिलचर के मध्य क्षेत्र में एक कक्ष किराए पर लेकर विद्यार्थियों को नियमित मार्गदर्शन प्रदान किया। गत वर्ष इसी परियोजना के तहत 20 विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया गया था, जिनमें से कई वर्तमान में कछार कॉलेज, गुरुचरण कॉलेज तथा विमेंस कॉलेज, सिलचर में अध्ययनरत हैं। उड़ान सुपर 40 के निदेशक एवं शोधार्थी मिनहाज उद्दीन ए.के. मजूमदार ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सिलचर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के पीजीटी (अंग्रेजी) साहिदुल इस्लाम चौधरी के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त किया।

इस पहल ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि सही दिशा, सहयोग और प्रेरणा मिलने पर सीमित संसाधनों के बावजूद भी विद्यार्थी अपने भविष्य की मजबूत नींव रख सकते हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय स्टाफ संघ (FOCUS) के राष्ट्रीय सचिव पद पर देवाशीष चक्रवर्ती मनोनीत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: केंद्रीय विश्वविद्यालय स्टाफ संघ (फोकस) के राष्ट्रीय सचिव पद पर देवाशीष चक्रवर्ती को मनोनीत किया गया है। वह वर्तमान में असम विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ (आनटिया) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अब वे अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नेतृत्व प्रदान करेंगे। जानकारी के अनुसार, उन्हें सितंबर 2025 से सितंबर 2030 तक पाँच वर्षों के लिए फोकस का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित फोकस की राष्ट्रीय बैठक में सर्वसम्मति से उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। देश के विभिन्न हिस्सों से आए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लिया गया यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

देवाशीष चक्रवर्ती लंबे समय से कर्मचारियों के न्यायसंगत अधिकारों, कार्यसंस्कृति के विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमता और दूरदर्शी सोच के सम्मानस्वरूप उन्हें यह दायित्व दिया गया है, ऐसा उनके सहयोगियों का मत है। इस मनोनयन की खबर सामने आते ही असम विश्वविद्यालय परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। कुलपति से लेकर विभिन्न विभागों के शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। गत 24 फरवरी (मंगलवार) को आनटिया की ओर से विश्वविद्यालय में एक सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। कुलपति प्रोफेसर राजीव मोहन पंथ की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में देवाशीष चक्रवर्ती के साथ-साथ फोकस के कार्यकारी सदस्य के रूप में मनोनीत होने पर आनटिया के सहायक कोषाध्यक्ष कानु धर को भी गर्मजोशी से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने आशा व्यक्त की कि देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण समस्याएं–जैसे पदोन्नति नीति, वेतन संरचना, रिक्त पदों की पूर्ति तथा कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे–के समाधान में देवाशीष निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वक्ताओं ने यह भी कहा कि देवाशीष चक्रवर्ती और कानु धर को मिली यह जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आनटिया और असम विश्वविद्यालय के लिए भी गर्व का विषय है। उनके नेतृत्व में फोकस और अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनेगा, ऐसी आशा सभी ने व्यक्त की। कार्यक्रम में परीक्षा नियंत्रक सुप्रबीर दत्तराय, वित्त अधिकारी शुभदीप धर, पूर्व अध्यक्ष सान्निक चौधरी, रणेंद्र चक्रवर्ती, अनुप कुमार वर्मा, सुचरिता राय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन किंकर पुरकायस्थ ने किया तथा अंत में धन्यवाद ज्ञापन रंजीत दास ने प्रस्तुत किया।

भाव से ही प्राप्त होती है भगवान की कृपा- पं सीताराम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

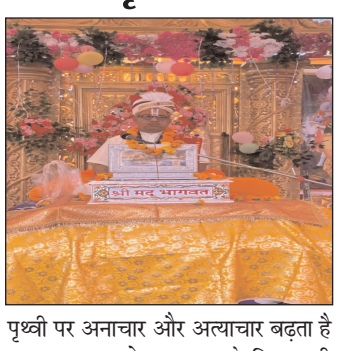

मिल्कीपुर अयोध्या मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के अमानीगंज विकासखंड स्थित कोटडीह ग्राम पंचायत अंतर्गत पूरे कालू शुक्ल गांव में शिवकुमार शुक्ला के यहां चल रही श्रीमद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर व्यास आचार्य पं सीताराम जी महाराज ने कहा कि भाव से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने इस दौरान राम जन्म और श्रीकृष्ण जन्म की कथा का श्रवण कराया। आचार्य पं सीताराम ने बताया कि जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है, वह संसार में पूजनीय हो जाता है। जबकि जिस पर कृपा नहीं होती, संसार उसकी उपेक्षा करता है। उन्होंने कहा कि भगवान के भजन की कोई आयु नहीं होती और बचपन से ही भजन का संस्कार मनुष्य में होना चाहिए। कथा व्यास ने ध्रुव चरित्र की कथा का उदाहरण देते हुए समझाया कि भागवत भजन के लिए कोई विशेष उम्र नहीं होती। जब भी मन में व्यक्ति का भाव जागे, व्यक्ति को भजन में लीन हो जाना चाहिए। जब- जब पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार बढ़ता है तब - तब प्रभु लोक कल्याण के लिए धरती पर जन्म लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। इस अवसर पर मुख्य यजमान शिवकुमार शुक्ला व धर्मपत्नी तारावती शुक्ला, शेष कुमार शुक्ला, प्रभाकर शुक्ला, विकास शुक्ला, पप्पू शुक्ला, धर्मेंद्र शुक्ला , संजीव शुक्ला, पारसनाथ शुक्ला, जमुना प्रसाद शुक्ला, मंगली शुक्ला, के के शुक्ला, संजय शुक्ला, राहुल शुक्ला, भैरव प्रसाद शुक्ला, अखिलेश शुक्ला, रमा निवास शुक्ला,लल्लू शुक्ला, रमेश शुक्ला, जगदीश शुक्ला,वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील शुक्ला सहित सैकड़ो श्रद्धालु प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

एक गलती और चली गई लाइनमैन की जान, फोन कर मांगा था शटडाउन, स्टाफ ने हां कर नहीं बंद की आपूर्ति

नोएडा। नोएडा के धूम मानिकपुर में लाइनमैन की हुई मौत के मामले में एसएसओ (सब स्टेशन आफिसर) की लापरवाही उजागर हुई है। फॉल्ट ठीक करने के लिए लाइनमैन ने सुबह आठ बजकर 50 मिनट पर एसएसओ को शटडाउन के लिए फोन किया। एसएसओ ने लाइनमैन को हां बोला लेकिन शटडाउन नहीं दिया। लाइनमैन फाल्ट ठीक करने के लिए 33/11 केवी लाइन पर चढ़ा। लाइन को छूते ही उसको करंट लगा। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की अब तक जांच में यह कमियां उजागर हुईं। टीम ने अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी, जेई और एसएसओ से करीब डेढ़ घंटे पूछताछ कर बयान दर्ज किए। घटनास्थल पर भी पहुंची। पहले दिन की जांच करीब तीन घंटे चली। लाइनमैन के स्वजन के बयान निदेशालय की टीम ने अभी दर्ज नहीं किए हैं। बता दें सोमवार को करंट से हुई लाइनमैन की मौत के मामले में विद्युत सुरक्षा निदेशालय की ओर से भी जांच की जा रही है। पीड़ित स्वजन की शिकायत पर अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी, जेई और एसएसओ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या से करीब डेढ़ घंटे पूछताछ कर बयान दर्ज किए।

कृषि राज्य मंत्री ने कृषि विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण

● सघन मछली पालन, कृषि नवाचारों पर दिया जोर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिल्कीपुर अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बुधवार को आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में कृषि नवाचारों का गहन अवलोकन किया और सघन मछली पालन पर विशेष जोर दिया। मंत्री श्री औलख के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ बिजेंद्र सिंह, निदेशक प्रसार राम बटुक सिंह और अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय धीरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने मत्स्यकी विभाग द्वारा की जा रही मखाना खेती, सघन मछली पालन इकाई, रंगीन मछलियों के बीज उत्पादन और कुक्कुट सह-मत्स्य पालन का निरीक्षण किया। उन्होंने मछलियों को दाना भी खिलाया।

मत्स्यकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ सी पी सिंह से मंत्री ने रंगीन मछलियों के बीज उत्पादन और मछली पालन पर विस्तृत जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने रामदाना और किनोवा की खेती का अवलोकन किया और संबंधित वैज्ञानिकों से भी जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में मंत्री ने जीपीबी फार्म का भी निरीक्षण किया। जहां चना, अरहर, मसूर, मटर, राजमा और सरसों की फसलों का जायजा लिया। उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए चल रहे शोध कार्यों का भी अवलोकन किया।

उन्होंने मखाना की उन्नत खेती, मत्स्य पालन और विभिन्न कृषि तकनीकों के प्रयोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और विशेषज्ञों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि, आत्मनिर्भर कृषि और तकनीक आधारित खेती के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐसे प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

बसंतकालीन सब्जियों के उन्नत बीजों की बिक्री शुरू

● आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में स्थापित है बीज विक्री केंद्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिल्कीपुर अयोध्या। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज में बसंत कालीन सब्जियों के उन्नत किस्म के बीजों की बिक्री शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के सब्जी एवं बीज विक्रय केंद्र पर किसान बड़ी संख्या में पहुंचकर बीज खरीद रहे हैं। जहां किसानों को वैज्ञानिक विधि से सब्जी उत्पादन की तकनीकी जानकारी भी दी जा रही है।

सब्जी विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉ सी एन राम ने बताया कि बीज विक्रय केंद्र सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। किसानों के लिए लौकी, करेला, भिंडी, लोबिया, कद्दू, नैनवा और तोरई की उन्नत प्रजातियों के बीज उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रमुख किस्मों में लौकी की 'नरेंद्र रश्मि', करेला की 'नरेंद्र बारहमासी', लोबिया की 'काशी कंचन', कद्दू की 'नरेंद्र उपकार', नैनवा तोरई की 'पूसा चिकनी' तथा भिंडी की 'नरेंद्र-10' और 'काशी ललमा' शामिल हैं। इन बीजों की बुवाई खेतों के साथ-साथ किचन गार्डन के लिए भी उपयुक्त बताई गई है। पूर्वांचल के सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, रायबरेली और अंबेडकर नगर सहित कई जिलों से किसान बीज खरीदने पहुंच रहे हैं। पांच प्रकार के बीजों का एक पैकेट 100 रुपये में उपलब्ध है। डॉ राम के अनुसार, बुवाई के लिए फरवरी का अंतिम सप्ताह और मार्च का पहला सप्ताह सबसे उपयुक्त समय है। विश्वविद्यालय की मौसम वेधशाला के अनुसार अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने और तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जो बुवाई के लिए अनुकूल माना जा रहा है।

संक्षिप्त खबरें

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने UGC कानून को लेकर प्रेस वार्ता की

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में एवं संगठन के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 अनूप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एन0सी0सी, विकाश नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश कार्यालय पर त्नष्ट क़ानून को लेकर प्रेस वार्ता कर एक महत्वपूर्ण बैठक किया गया जिसमें सभी की सहमति से 8 मार्च 2026 को राम लीला मैदान दिल्ली में विशाल विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। जिसमे सभी संगठनों के संस्थापक व अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। संगठन के अध्यक्ष ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि त्नष्ट जैसे काले क़ानून हमारे देश की एकता व अखंडता को तोड़ सकती है इसलिए इस कानून राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करना अनिवार्य है ताकि भारत देश की एकता बनी रहे। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव पूर्व द्बत्र्- भारत सरकार, राष्ट्रीय सचिव व भारतीय एकता युवा मोर्चा संस्थापक दीपक लाल श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव, आनंद प्रकाश, दीवाकर खरे, अजय दीप, मिथिलेश श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव एवं समस्त पदाधिकारीगण उपस्तिथ हुए।

नल में पानी भरने गई युवती से छेड़छाड़ का आरोप, विरोध पर मारपीट

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नल से पानी भरने गई युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपित युवक ने उसकी पिटाई कर दी। घायल युवती का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। पीड़िता की मां ने कोतवाली में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सुबह करीब सात बजे उनकी बेटी घर से दूर लगे नल पर पानी लेने गई थी। तभी गांव का एक युवक वहां पहुंचा। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने युवती को मारना-पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मां और बड़ी बहन मौके पर पहुंचीं।आरोप है कि युवक ने उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट में घायल युवती को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां उसका इलाज हुआ। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है। दोनों ओर से शिकायती पत्र मिले हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बदलते मौसम में किन बातों का रखें ध्यान? आज इस नंबर पर कॉल कर पूछें सवाल

लखनऊ। मौसम में अचानक बदलाव होने से सर्दी-खांसी, बुखार और एलर्जी के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। दिन और रात के तापमान में दो गुणा तक अंतर बना है, जिसकी वजह से बच्चों से लेकर बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। सुबह और रात में हल्की ठंड, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। ऐसे मौसम में इम्युनिटी मजबूत करने के लिए किन बातों का ध्यान रखें? इसका जवाब देने के लिए गुरुवार को दोपहर एक से दो बजे तक हेलो डाक्टर कार्यक्रम में लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के सीएमएस एवं जनरल मेडिसिन के विभागाध्यक्ष प्रो. विक्रम सिंह मौजूद रहेंगे। आप उनसे फोन नंबर 0522-2204050 पर सवाल पूछ सकते हैं।

कलेक्ट्रेट परिसर में आशा एवं आशा संगिनी बहनों का प्रदर्शन

● राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की उठी मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बाराबंकी, जनपद बाराबंकी के कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को आशा एवं आशा संगिनी बहनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम ऐतिहासिक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित आशा एवं आशा संगिनी कार्यकर्ताओं ने अपने अधिकारों की मांग को एकजुट होकर बुलंद स्वर में रखा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष के.के. मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में श्रमिक संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य भी उपस्थित रहे और आशा बहनों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया।

जिला अध्यक्ष, बाराबंकी आशा एवं आशा संगिनी कर्मचारी संगठन, शीला चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि आशा एवं आशा संगिनी बहनें वर्षों से National Health Mission (राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान) के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय भी इन कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना घर-घर जाकर सर्वेक्षण, टीकाकरण एवं जन-जागरूकता का कार्य किया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन तथा जन-जागरूकता कार्यक्रमों में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बहनों ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब वे अपने अधिकारों के प्रति पूर्णतः जागरूक और संगठित हैं। प्रदर्शन के उपरांत जिला अधिकारी, बाराबंकी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से आशा एवं आशा संगिनी बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने, नियमित वेतनमान सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा की व्यवस्था लागू करने तथा लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 2005 से अब तक महंगाई में निरंतर वृद्धि हुई है, किंतु मानदेय में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे जीवन-यापन अत्यंत कठिन हो गया है।

मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने अपने संबोधन में आशा एवं आशा संगिनी बहनों के संघर्ष को न्यायोचित बताते हुए हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया। सभी उपस्थित बहनों और श्रमिक साथियों ने एक स्वर में अपनी एकजुटता का परिचय दिया। कार्यक्रम पूर्णतः शांतिपूर्ण, गरिमामय एवं लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हुआ। अंत में सभी ने संकल्प लिया कि जब तक उनकी मांगें पूर्ण नहीं होतीं, तब तक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक माध्यम से संघर्ष जारी रहेगा। संगठन की ओर से समस्त आशा बहनों, आशा संगिनी बहनों तथा मजदूर संघ के भाई एवं बहनों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

पत्नी को लेने गए युवक को पीटा, भाई पर सिर फोड़ने का आरोप

स्वतंत्र प्रभात पुलिस 112 आपात सेवाएं

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के ऐहार गांव में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्नी को वापस लाने गए युवक पर उसके ही भाई ने हमला कर दिया। इससे युवक का सिर फट गया। गांव निवासी कुलदीप ने बताया कि 19 फरवरी को उसकी पत्नी बेटी को छोड़कर कहीं चली गई थी। वह कई दिनों से खोजबीन कर रहा था। जानकारी मिली कि पत्नी साकेत नगर में उसके भाई के साथ रह रही है।कुलदीप जब उसे वापस लेने पहुंचा तो वहां कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि भाई रिंकू ने सिर पर वार कर दिया। इससे वह लहूलुहान हो गया। किसी तरह वह कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने फौरन उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। घटना के बाद पत्नी उसके साथ घर लौट आई है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण सकुशल संपन्न

● मधुमक्खी पालन से ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी: डॉ योगेंद्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर 25 फरवरी चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सकुशल संपन्न हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी महाविद्यालय में मधुमक्खी पालन के साथ वर्मी कंपोस्ट एवं फूड प्रोसेसिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं साथ मेंकंप्यूटरआधारित ऑफिस ऑटोमेशन एवं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी संचालित किया जा रहे हैं जो भी प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन महाविद्यालय में आकर करवा सकते हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आसानी से किया जा सकता है जहां पर फूल वाली फसलों की खेती अधिक होती है वहां पर मधुमक्खियां को पाला जा सकता है। चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के सह-आचार्य धनेंद्र कुमार सिंह ने बताया की प्रशिक्षण में कई तकनीकी बिंदुओं पर चर्चा हुई मधुमक्खी शहद कैसे बनती है कैसे डिब्बे तैयार किए जाते हैं शहद निकालने की विधि बताई गई। महाविद्यालय के सह- आचार्य रवी शंकर वर्मा ने मधुमक्खी की जीवन वृत पर चर्चा किया। तथा डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मधुमक्खियों को गर्मियों में देखभाल, कीट एवं बीमारी प्रबंधन पर चर्चा औरकहां की क यह प्रशिक्षण ग्रामीण आजीविका और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में 14 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रतिभाग किया।

संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला छात्रा का शव, कोहराम

● परिजनों ने छेड़छाड़ के प्रयास के बाद उठाया कदम बताया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के बछरावां रोड स्थित रणगांव में बुधवार दोपहर एक 17 वर्षीय छात्रा का शव घर के भीतर पंखे के हुक से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव निवासी सत्येंद्र सिंह अपनी पत्नी संतोष सिंह, बेटी प्रज्ञा सिंह (17) और बेटे प्रिंस (14) के साथ अधीन का पुरवा गांव के निकट नई बस्ती में रहते हैं। बुधवार को सत्येंद्र और उनकी पत्नी बिजली बिल जमा करने गए थे। बेटा स्कूल गया था। दोपहर करीब 12 बजे जब दंपती लौटे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांकने पर बेटी बरामदे की छत में लगे पंखे की हुक से लटकी दिखी। यह देख उनके होश उड़ गए। शोर सुनकर आसपास के तमाम लोग जुट गए। दरवाजे के बगल की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया। फंदा काटकर नीचे उतारा गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मंगलवार शाम जब वे एक रिश्तेदारी में शादी समारोह में गए थे, उसी दौरान घर के पास स्थित आरेडिका के लिए उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ युवक छात्रा को खेत की ओर खींच ले गए और जबरदस्ती करने की कोशिश की। पास के तालाब में मछली पकड़ रहे लोगों ने शोर मचाया तो आरोपी वहां से भाग निकले। निमंत्रण से लौटने पर छात्रा ने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। सत्येंद्र भी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं। परिजनों का आरोप है कि

फैक्ट्री मालिक ने मामले को दबाने का दबाव बनाया और लौटकर बात करने को कहा। यह भी आरोप है कि फैक्ट्री मैनेजर ने आरोपी युवकों को वहां से हटा दिया। परिवार का कहना है कि इसी बात से क्षुब्ध होकर छात्रा ने यह कदम उठाया। छात्रा इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा दे रही थी। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पंचायतनामा कराकर शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच की जा रही है।

शंकराचार्य के अपमान पर कांग्रेस का प्रदर्शन

● प्रधानमंत्री को भेजा मांगपत्र, राजेश तिवारी बोले- हिस्ट्रीशीटर के आरोप लगाने पर बीजेपी सरकार का अत्यंत निंदनीय प्रयास

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुल्तानपुर- स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के मामले को लेकर जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भेजकर पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया कॉर्डिनेटर राजेश तिवारी ने इस दौरान कहा कि आदित्यनाथ सरकार एक कुचक्र रचकर पूज्य शंकराचार्य को फंसाने का प्रयास कर रही है, जो संपूर्ण सनातन का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक हिस्ट्रीशीटर के आरोप लगाने पर बीजेपी सरकार का यह प्रयास अत्यंत निंदनीय है। तिवारी ने आगे कहा कि शंकराचार्य को सच बोलने के लिए परेशान किया जा रहा है।

ज्ञापन में कहा गया है कि यह मामला केवल एक संत का नहीं, बल्कि सनातन परंपरा और करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें माघ मास जैसे पावन अवसर पर शंकराचार्य को स्नान से वंचित किए जाने को धार्मिक अधिकारों का खुला हनन बताया गया है। साथ ही, पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार और झूठे मुकदमे दर्ज कर दबाव बनाने के आरोप भी लगाए गए हैं।

कांग्रेस ने मांग की है कि गैर-भाजपा शासित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्वतंत्र समिति गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके अलावा, आरोपित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कठोर कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ नेता हरीश त्रिपाठी ने कहा कि धर्मगुरुओं के सम्मान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा और सरकार तुरंत कार्रवाई करे। जफर खान ने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन जनआंदोलन बनेगा और जवाब सड़कों पर दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अतहर नवाब, राम किशोर, असलम अंसारी, हाजी फिरोज, विकास मिश्रा, मो मंसूर, अजय मिश्रा, दिनेश तिवारी, मोहसिन सलीम, इकराम खान, अवधेश गौतम, विनय कुमार, महेश सिंह, आलोक पाण्डेय, जनेश्वर उपाध्याय, अखंड मिश्रा समेत कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

NHM संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन

● वेतन भुगतान में देरी और समायोजन की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुल्तानपुर - संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारी संघ ने संविदा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान और राज्य-आधारित व्यवस्था निर्माण की मांग को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया। संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। संघ ने बताया कि NHM के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। दिवाली 2023 से वेतन भुगतान में लगातार देरी हो रही है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित हैं। किराया, बच्चों की शिक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियां और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति मुश्किल हो गई है।

कर्मचारियों के अनुसार, SNA-SPARSH प्रणाली में तकनीकी बाधाओं के कारण वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है। इन कर्मचारियों ने कोविड महामारी के दौरान और नियमित टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा आपातकालीन चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में निष्ठा और समर्पण के साथ काम किया है।

अपनी मांगों में, संघ ने SNA-SPARSH प्रणाली की बाधाओं को दूर कर प्रत्येक माह की 3 तारीख से पहले नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और लंबित वेतन का तुरंत भुगतान करने की अपील की है। उन्होंने यह भी मांग की कि राज्य के कुल बजट का न्यूनतम 9-10 % स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निर्धारित किया जाए। अन्य प्रमुख मांगों में PHS मानकों के अनुसार नए पदों का सृजन करना, 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके अनुभवी कार्मिकों के समायोजन के लिए नीति बनाना, और मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्पष्ट एवं पारदर्शी वेतन नीति निर्धारित कर वेतन विसंगतियों को दूर करना शामिल है। संघ ने वरिष्ठता का सम्मान सुनिश्चित करने और सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ, ग्रेच्युटी) तथा सेवा स्थिरता प्रदान करने की भी मांग की। संघ ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को न्याय मिलेगा।

ध्वजारोहण एवं मंडप उद्घाटन के साथ छः दिवसीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ बुढार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल। नगर के नव-निर्मित श्री शांतिनाथ जिनालय में आयोजित छः दिवसीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का शुभारंभ आज ध्वजारोहण एवं मंडप उद्घाटन के साथ अत्यंत भव्य एवं मांगलिक वातावरण में संपन्न हुआ।यह महामहोत्सव संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता ज्येष्ठ मुनि श्री प्रमाणसागर महाराज के सान्निध्य में आयोजित हो रहा है। उनके साथ निर्यापक मुनि श्री प्रसादसागर महाराज, मुनि श्री शीतलसागरमहाराज, मुनि श्री संधानसागर महाराज एवं क्षुल्लक श्री समादरसागर महाराज ससंघ उपस्थिती में ध्वजारोहण एवं मंडप उद्घाटन का मंगल कार्य विलासपुर के संवाई सिंघई कोयला परिवार द्वारा संपन्न किया गया। इसके पश्चात वेदी शुद्धि, इंद्र प्रतिष्ठा सहित समस्त मांगलिक क्रियाएँ विधिपूर्वक सम्पन्न हुई। दोपहर में याग मंडल विधान एवं हवन का आयोजन हुआ मुनि संघ के प्रवक्ता अविनाश जैन विद्यावाणी एवं स्थानीय मीडिया प्रभारी प्रसन्न जैन दीपू ने 26 फरवरी गुरुवार को प्रातः 6 बजे से श्रीजी का अभिषेक, शांतिमंत्रों के साथ शांति धारा एवं गर्भ कल्याणक पूजन संपन्न होगी।

प्रातः 8 से 9:30 बजे तक विश्वप्रसिद्ध 'भावनायोग' कार्यक्रम मुनि श्री प्रमाणसागर महाराज के मुखारविंद से संपादित किया जाएगा। इस भावनायोग के माध्यम से आध्यात्मिक जागरण, मानसिक शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा का लाभ प्राप्त होगा। मुनि श्री वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इसके शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों में लाभ की विधि भी बताएंगे।सकल दिगम्बर जैन समाज धनपुरी एवं महासभा न्यास के समस्तपदाधिकारियों ने सर्व समाज को इस पुण्य अवसर पर उपस्थित होकर लाभान्वित होने का आमंत्रण दिया है।

पंचकल्याणक का वास्तविक उद्देश्य जीवन रूपांतरण- मुनि श्री प्रमाणसागर

प्रातः प्रवचन सभा में मुनि श्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि पंचकल्याणक को मात्र एक आयोजन या उत्सव न समझें। इसका मूल उद्देश्य जीवन का कल्याण है। यदि भावपूर्वक क्रियाएँ की जाएँ तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन संभव है,उन्होंने कहा कि 'पंचकल्याणक' भगवान के गर्भ,जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान एवं निर्वाण की घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है, यह देव और मनुष्यों द्वारा मनाया जाने वाला दिव्य उत्सव है। आज भले ही साक्षात भगवान हमारे सामने उपस्थित नहीं हैं, परंतु हम मंदिर निर्माण एवं प्रतिष्ठा के माध्यम से उनके सान्निध्य की अनुभूति प्राप्त करते हैं।

मुनि श्री ने कहा कि प्रतिष्ठा से पूर्व मंदिर केवल एक इमारत के रुप में है, किंतु भावों से परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। अमूर्त परमात्मा को पहचानने के लिए मूर्त स्वरूप का आलंबन आवश्यक है, और उसी अमूर्त तत्व को मूर्त प्रतिमा में प्रतिष्ठित करने के लिए ही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाता है।उन्होंने चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष प्रकाश डालते हुये कहा पंचकल्याणक क्या है?

क्यों करें? कैसे करें? और क्या करना है? मुनि श्री ने कहा कि पंच जब प्रपंच में उलझ जाते हैं तो उसका उद्देश्य विकृत हो जाता है,हमारा लक्ष्य आत्मा का कल्याण है, यह आयोजन केवल पाँच दिनों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन रूपांतरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है।

भारत-नेपाल संबंध मात्र राजनीतिक संबंध नहीं, अपितु संवेदना, परंपरा और आत्मीयता से जुड़े हुए हैं : पूर्व आचार्य प्रोफेसर रामदेव शुक्ल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में कुलपति प्रोफेसर कविता शाह की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में हिंदुस्तानी अकादमी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु के हिंदी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 'भारत-नेपाल संबंधों का हिंदी भाषा एवं साहित्य पर प्रभाव' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत शोधपत्रों के संकलन पर आधारित संपादित पुस्तक 'भारत-नेपाल सम्बन्ध : हिन्दी भाषा, साहित्य एवं विविध आयाम' का विमोचन भी मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। इस पुस्तक के संपादक प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार दुबे हैं। उद्घाटन अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर रामदेव शुक्ल ने भारत और नेपाल के संबंधों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय गहराई पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल संबंध मात्र राजनीतिक संबंध नहीं, अपितु संवेदना, परंपरा और आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक अस्थिरता या गतिरोध कभी-कभी प्रभाव डाल सकते हैं, परंतु दोनों देशों की मैत्री का आधार मानवीय संबंधों में निहित है, जो अटूट और अविच्छिन्न हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री प्रोफेसर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि नेपाल का विकास सदैव भारत की चिंतनधारा के केंद्र में रहा है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कला संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर नीता यादव ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध सांस्कृतिक निरंतरता के प्रतीक हैं। साहित्य, लोकसंस्कृति और शैक्षिक संवाद इन संबंधों को गहराई प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालयों का दायित्व है कि वे इन आयामों पर शोध को प्रोत्साहित करें।

स्वागत उद्बोधन हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व अधिष्ठाता प्रोफेसर हरीशकुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल संबंधों की जड़ें लोकजीवन में रची-बसी हैं और साहित्य इन संबंधों का जीवंत दर्पण है।

विषय प्रस्तावना संगोष्ठी के संयोजक एवं हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार दुबे द्वारा प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा कि यह संगोष्ठी केवल औपचारिक अकादमिक आयोजन नहीं, बल्कि अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ा हुआ एक जीवंत प्रयास है। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. अश्वनी कुमार एवं परीक्षा नियंत्रक दीनानाथ यादव सहित विश्वविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों के शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। प्रथम दिवस दो तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें दो दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों पर अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए। प्रथम तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉ. राम पाण्डेय ने की और मुख्य वक्ता डॉ. राणा प्रताप तिवारी रहे जबकि दूसरे सत्र के अध्यक्ष डॉ. विशाल गुप्ता तथा मुख्य वक्ता डॉ. बलजीत कुमार श्रीवास्तव रहे। दूसरे दिन दो तकनीकी सत्रों के साथ समापन समारोह आयोजित होगा।

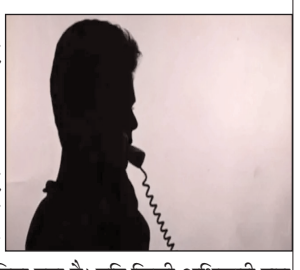

यूपी में अब विधायकों के फोन का 10 मिनट में उत्तर देंगे अधिकारी, विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद शुरू हुई ये व्यवस्था

लखनऊ। अधिकारियों द्वारा विधायकों के फोन कॉल न उठाने की समस्या के निदान के लिए बुधवार से गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज में संवाद सेतु (जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर) की व्यवस्था शुरू हो गई। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन कमांड सेंटर्स की शुरुआत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण की मौजूदगी में की गई।

असीम अरुण ने कहा कि यह व्यवस्था पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय सभी जनप्रतिनिधियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अधिकारी हों चाहे जनप्रतिनिधि, हमारा एक ही प्रोटोकॉल है, जनता की सेवा करना। आने वाले समय में इस व्यवस्था का परिणाम अच्छा मिलेगा। जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर्स में स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। सीयूजी नंबर अपडेट कर कॉल मॉनिटरिंग प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। यदि किसी अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधि की कॉल 10 मिनट के भीतर रिसीव या काल बैक नहीं की जाती है तो जनप्रतिनिधि कमांड सेंटर को सूचित कर सकेंगे। कमांड सेंटर संबंधित अधिकारी को तुरंत काल बैक के लिए निर्देशित करेगा और संवाद सुनिश्चित करेगा। यह व्यवस्था केवल कार्य दिवसों और कार्यालय समय में और सरकारी नंबरों पर लागू होगी। इसकी प्रतिदिन समीक्षा भी की जाएगी। इस दौरान विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार सिंह सहित तीनों जिलों के अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।